

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०),
कानपुर-देहात।



UPRN010021442026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-194/2026

प्रान्शू प्रजापति

बनाम

उ०प्र० राज्य

अपराध सं०-57/2025

धारा-309(6) बी.एन.एस.

थाना-गजनेर, कानपुर देहात।

दिनांक-07.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी/अपचारी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी/अपचारी प्रान्शू प्रजापति की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.04.2026 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अपचारी की जन्म तिथि हाईस्कूल के प्रमाण पत्र(अंकतालिका) के अनुसार दिनांक 16.06.2007 है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अपचारी घटना दिनांक 03.03.2025 के समय 17 वर्ष 08 माह 17 दिन का था जो कि अपराची किशोर होने का प्रमाण है। प्रार्थी/अपचारी उक्त कथित घटना के समय इण्टरमीडिएट कक्षा-12 के पेपर दे रहा था और गांव के चुनावी रंजिश के कारण उक्त मुकदमें के अभियुक्तों के बयानों के आधार पर अपचारी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अपचारी ने गिरफ्तारी के समय पुलिस को अपनी जन्मतिथि के संबंध में हाईस्कूल की मार्कशीट दिखाया गयी थी परन्तु पुलिस ने प्रार्थी/अपचारी की कोई बात नहीं मानी और प्रार्थी/अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी/अपचारी द्वारा उसे किशोर घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार अभियुक्त प्रान्शू प्रजापति पुत्र अमरनाथ के अंक पत्र में उसकी हाईस्कूल परीक्षा 2023 के अनुसार रोल नम्बर 1231307136 तथा जन्मतिथि 16.06.2007 अंकित है। घटना दिनांक को अभियुक्त प्रान्शू प्रजापति की उम्र 17 वर्ष, 8 माह, 16 दिन है तथा घटना दिनांक को प्रान्शू उपरोक्त बाल अपचारी था।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रपत्रों में प्रार्थी/अपचारी प्रान्शू प्रजापति पुत्र अमरनाथ की जन्मतिथि 16.06.2007 अंकित है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थी/अभियुक्त प्रान्शू प्रजापति की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड, कानपुर देहात प्रेषित की जाये। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रार्थी जमानत पर है। अतः प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम कार्यवाही हेतु किशोर न्याय बोर्ड, कानपुर देहात के समक्ष दिनांक 20.07.2026 को प्रस्तुत हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०)
कोर्ट सं०-3, कानपुर देहात।